भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5145

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1941 (शक)

सोशल मीडिया मंचों पर दुर्व्यवहार

5145. श्री राहुल रमेश शेवले :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सोशल मीडिया मंचों पर दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्रवाई के लिए सूचित किए जाने से पहले ही ऐसे मामलों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र विकसित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में सोशल मीडिया मंच प्रचालकों को दंडित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी सोशल मीडिया मंच प्रचालक-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और **(ख):** साइबर स्पेस इंटरनेट पर व्यक्तियों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं का एक जटिल वातावरण है। त्वरित संचार और गुमनामी की संभावना के साथ आपराधिक गतिविधियों के लिए साइबर स्पेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरूपयोग की संभावना एक वैश्विक मुद्दा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क सरकार को निम्नलिखित के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में तैयार की गई, प्रसारित की गई, प्राप्त, भंडारित अथावा होस्ट की गई किसी भी ऐसी सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ब्लॉक किए गए यूआरएल की वर्षवार संख्या का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	ब्लाकिंग के लिए आदेशित यूआरएल की संख्या
2016	633
2017	1385
2018	2799
2019 (जून, 2019 तक)	2163

(ग) : भारतीय संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य के विषय हैं और राज्य अपनी कानून प्रवर्तन मशीनरी के जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने और छानबीन करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। कानून के प्रावधानों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराधियो के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म/ऑपरेटर को दंडित करने से संबंधित डाटा एमईआईटीवाई में नहीं रखा जाता है।

(घ) : सरकार सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सोशल मीडिया से नियमित रूप से बातचीत करती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ-साथ पुलिस भी आपत्तिजनक सूचना सामग्री को हटाने के मुद्दों का सफलता पूर्वक समाधान करने हेतु नियमित रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के सम्पर्क में हैं।

******